Registered No. E. P.-97

रजिस्टर्ड नं० इ० पी०-९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 2 सितम्बर, 1955

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT

विधान सभा विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-4, दिनांक 30 अगस्त, 1955

सं० वी० एस० 178/55.—हिमाचल प्रदेश के प्रक्रिया नियमों के नियम 102 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 30 अगस्त, 1955 को पुरः स्थापित हुआ। एतद्द्वारा सर्व सामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 20, 1955

हिमाचल प्रदेश भूराजस्व (संशोधन), विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में पुरः स्थापित हुआ)

हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 में संशोधन करने का विधेयक

भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश भूराजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1955 होगा :—

2. हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1954 की धारा 4 में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 (अधिनियम संख्या 6, 1954, जिसे यहां से आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में खंड (18) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाए :—

"(18) "राज्य शासन" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश राज्य के उपराज्यपाल से है।"

3. हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1954 की धारा 17 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में शब्द "विचाराधीन" के पश्चात् शब्द "या उसके द्वारा निर्णीत" जोड़े जाएं।

4. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 45 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 45 के परादिक में शब्दों और अंकों "पहली अप्रैल, 1948 के बाद की" के स्थान पर शब्द और अंक "अप्रैल, 1948 के प्रथम दिन और अप्रैल, 1956 के प्रथम दिन के मध्य की अवधि में" रख दिए जाएं।

5. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 83 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 83 में—

(क) उपधारा (1) में—

(अ) शब्दों "और यदि फाइनेन्शियल कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "या यदि फाइनेन्शियल कमिश्नर" रखे जाएं ;

(आ) परादिक में शब्दों "और किए गए संविदा" के स्थान पर "या किए गए संविदा" रखे जाएं।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "सम्पत्ति" के स्थान पर शब्द "अचल सम्पत्ति" रखे जाएं।

6. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 90 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 90 में शब्दों "और यह प्रमाणित" के स्थान पर "या यह प्रमाणित" शब्द रखे जाएं।

7. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 102 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 102 में शब्दों "या भूराजस्व के किसी बकाया का, जो भूराजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता हो" के स्थान पर शब्द "या ऐसी राशि को, जो भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती हो" रखे जाएं।

8. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 141 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 141 में :—

(क) उपधारा (1) के अन्त में शब्द "और माल अधिकारी राज्यशासन की ओर से एक अन्य मध्यस्थ मनोनीत करेगा" बढ़ा दिए जाएं।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाए, अर्थात् :—

"(2) माल अधिकारी ऐसे कारणों के आधार पर, जो वह अभिलिखित करेगा, किसी भी पक्ष के मनोनयन को अस्वीकार कर सकेगा और यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह पक्ष ऐसी अवधि में, जो आदेश में विशिष्ट की जाएगी, फिर से नामांकन करे और यदि इस प्रकार विशिष्ट अवधि में अन्य मध्यस्थ मनोनीत नहीं किया जाता तो माल अधिकारी समय समय पर उस अवधि को बढ़ा सकेगा या निर्देश के आदेश (order of reference) को रद्द कर सकेगा।"

9. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 149 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 149 में संशोधन :—

(क) उपधारा (1) में शब्दों "इस अध्याय" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रखे जाएं;

(ख) उपधारा (2) में शब्दों "अन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्टक "धारा 148 की उपधारा (1)" रखे जाएं।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत सरकार द्वारा धारा 45 में यह सुझाव दिया गया था कि अधिकार अभिलेख की शुद्धता के सम्बन्ध में अनुमान हमेशा के लिए ही समाप्त नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप पहली अप्रैल, 1956 तक की अवधि विनिहित की गई है क्योंकि यह आशा की जाती है कि उस दिनांक के उपरान्त स्थिति ठीक हो जाएगी और काश्त के सम्बन्ध में अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों की शुद्धता की शंका के लिए कोई भी अवसर नहीं होगा यदि वे अशुद्ध प्रमाणित न की जाएं। अन्य धाराओं में कुछ शाब्दिक अशुद्धियां भी पाई गई हैं और इस अवसर का लाभ उठा कर वे भी ठीक कर दी गई हैं।

यशवन्त सिंह परमार

शिमला-4, 30 अगस्त, 1955

सं० बी० एस० 188/55.—हिमाचल प्रदेश के प्रक्रिया नियमों के नियम 102 के अधीन निम्नलिखत विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 30 अगस्त, 1955 को पुरः स्थापित हुआ एतद्द्वारा सर्वसामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 24, 1955

हिमाचल प्रदेश जलप्रदाय (विकास-निधि) विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में पुरः स्थापित हुआ)

हिमाचल प्रदेश राज्य में जलप्रदाय विकास-निधि निर्माण करने की व्यवस्था का

विधेयक

यह गणतन्त्र के छटे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश जलप्रदाय (विकास-निधि) अधिनियम, 1955 होगा।

(2) इस का प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा, जिसे राज्यशासन अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में नियत करे।

2. परिभाषाएं.—(1) "विकास निधि (Development Fund)" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन निर्मित निधि से है;

(2) "राजपत्र" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के राजपत्र से है;

(3) "शासन या राज्यशासन" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल से है;

(4) "योजना" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन आरम्भ की गई जलप्रदाय योजना से है;

(5) "विहित" का तात्पर्य नियमों द्वारा विहित से है।

3. जलप्रदाय योजना.—राज्यशासन हिमाचल प्रदेश राज्य में देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में सर्वसाधारण के हित के लिए समय समय पर जलप्रदाय योजनाओं को आरम्भ करेगा और साथ ही साथ विद्यमान जलप्रदायों का संधारण करेगा।

4. व्यय की वसूली. - (1) राज्यशासन पहले सम्पूर्ण राशि हिमाचल प्रदेश की समस्त योजनाओं पर व्यय करेगा और विकास-निधि से बीस बराबर की वार्षिक किस्तों में निम्नलिखित वसूल करेगा—

(क) शहरी जलप्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में पूंजी व्यय का 25 प्रतिशत तथा उसका ब्याज ;

(ख) देहाती क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में पूंजी-व्यय का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा उसका ब्याज ;

(2) पूंजी व्यय पर ब्याज का मान (rate) राज्यशासन द्वारा समय समय पर निश्चित किया जा सकेगा।

(3) राज्यशासन द्वारा विकास-निधि से संधारण व्यय तथा प्रतिस्थापन-व्यय (Cost of maintenance and replacement) भी वसूल किया जा सकेगा।

5. जल-कर आरोपण.—(1) राज्यशासन द्वारा आरम्भ की गई या संपृत (initiated or maintained) समस्त जलप्रदाय योजनाएं ऐसे जल-कर आरोपण के प्रतिबन्धाधीन होंगी, जो राज्यशासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए।

(2) जल-कर विहित रीति से राज्यशासन द्वारा इस हेतु नियुक्त एक समिति के परामर्श से आरोपित किए जाएंगे।

(3) आरोपित जल-कर, यदि उस समय न चुकाया गया हो जब वह देय हो, तो वह इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो कि वह भूराजस्व का बकाया था।

6. विकास-निधि का निर्माण.—राज्यशासन "हिमाचल प्रदेश जलप्रदाय विकास-निधि" के नाम से एक निधि का निर्माण करेगा और जल-करों के रूप में प्राप्त समस्त धन तथा योजनाओं की अन्य आय इस निधि में जमा कर दी जाएगी। धारा 4 के अधीन वसूली योग्य पूंजीव्यय इस निधि पर प्रथम भार होगा।

7. जलप्रदाय योजनाएं सौंपना.—(1) जहां यह समझा जाए कि कोई स्थानीय निकाय, पंचायत अथवा ग्राम समुदाय किसी योजना को अपने हाथ में लेने तथा संधारण करने के लिए सक्षम है वहां राज्यशासन ऐसी योजना का प्रबन्ध उस स्थानीय निकाय, पंचायत अथवा समुदाय को सौंप सकेगा, यदि उन्होंने धारा 4 के अधीन देय पूंजी-व्यय का अपना भाग शासन के पास जमा करा दिया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन, ऐसा स्थानीय निकाय, पंचायत अथवा ग्राम समुदाय, जो किसी योजना को अपने हाथ में ले लेता है, वह ऐसे जल-कर नियत करेगा जो वह आवश्यक समझे तथा ऐसी योजनाओं के कुशल प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा।

8. राज्यशासन द्वारा सामान्य नियंत्रण.—(1) धारा 7 के अधीन स्थानीय निकाय, पंचायत अथवा ग्राम समुदाय द्वारा अपने हाथ में ली गई समस्त योजनायें राज्यशासन के सामान्य नियंत्रण के अधीन होंगी और शासन के इंजिनियर द्वारा जलप्रदाय योजनाओं का समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा।

(2) यदि राज्यशासन का यह समाधान हो कि स्थितिअनुसार स्थानीय निकाय, पंचायत अथवा ग्राम समुदाय योजना का संधारण करने में असफल रहा है या उसने योजना का संधारण करने में असावधानी की है तो राज्यशासन योजना का प्रबन्ध वापस ले सकेगा।

9. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्यशासन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए इन नियमों द्वारा निम्नलिखित विषय विहित किए जा सकेंगे:—

(क) वे सिद्धान्त और शर्तें (principles and conditions) जिन के अनुसार धारा 3 के अन्तर्गत योजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी;

(ख) धारा 4 के अधीन पूंजी-व्यय की वसूली का समय तथा रीति;

(ग) धारा 5 के अधीन समिति की नियुक्ति; और

(घ) ऐसे विषय, जिन्हें धारा 7 के अधीन कुशल प्रबन्ध का निश्चय करने के लिए आवश्यक समझा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पीने के लिए उत्तम जल की व्यवस्था करना लोक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तदनुसार राज्य ने समस्त हिमाचल प्रदेश के नगरों तथा ग्रामों में आधुनिक जल प्रदायों की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। इस राज्य की जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इस लिए वह ऐसी योजनाओं के प्रति अपने भाग की सम्पूर्ण राशि एक साथ नहीं दे सकती। इसी भान्ति स्थानीय संस्थाओं के पास भी निधि का अभाव है। इन कठिनाइयों से सारे राज्य में आयोजित जलप्रदायों का कार्य रुक जाता है। इस विधेयक द्वारा एक जलप्रदाय विकास-निधि बनाने और जनता के भाग को सुव्यवस्थित रूप से जलकरों द्वारा पूरा करने की व्यवस्था की गई है।

गौरी प्रसाद

बन्सीधर शर्मा
सचिव।

Printed and published in India by the Manager H. P. Govt. Press, Simla-3.